न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 15/2024

प्रार्थी–	***बनाम***	**अप्रार्थीगण–**
भजनलाल पुत्र सुजानाराम निवासी सीनीयर सैकेण्डरी स्कूल, तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर		सरपंच, ग्राम पंचायत धोरीमन्ना

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा विक्रय विलेख जो ग्राम पंचायत धोरीमन्ना द्वारा जारी किये गये।

उपस्थिति :–
1. श्री राणाराम गौड़, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से अनुपस्थित।
2. अप्रार्थी अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 24.12.2025

1. प्रार्थी की ओर से ग्राम पंचायत धोरीमन्ना द्वारा जारी प्रश्नगत पट्टों के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष डी0बी0सिविल रिट पीटीशन सं. 6428/2019 प्रस्तुत की गई। उक्त याचिका पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा आदेश दिनांक 21.03.2024 पारित कर इस न्यायालय को प्रार्थी के अभ्यावेदन पर निगरानी याचिका दर्ज कर विधिसम्मत आदेश पारित करने के निर्देश प्रदान किये गये। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 20.11.2024 को निगरानी के रूप में दर्ज कर व नियमानुसार पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु सूचित करते हुए संबंधित प्राधिकारियों को आवश्यकतानुसार जांच करने हेतु निर्देशित किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:36:10 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि ग्राम पंचायत धोरीमन्ना द्वारा खसरा नंबर 427 आदेश राजस्व क्रमांक 705 दिनांक

जिला कलक्टर
बाड़मेर

11.09.1970 आबादी में परिवर्तन हुआ है उक्त खसरे में ग्रामवासियों द्वारा अनाधिकृत कब्जा किये गये है। ग्राम पंचायत धोरीमन्ना द्वारा उक्त भूखण्ड पर पट्टे जारी करने मे घोर अनियमितता और अवैधानिकता बरती जाने को आधार मानते हुए प्रार्थी ने उक्त पट्टों की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुक्रम में यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

3. अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं मुख्य कार्यकारी जिला परिषद, बाड़मेर एवं उपखण्ड अधिकारी, धोरीमना से संयुक्त रूप से तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट मंगवाई गई जिसका अवलोकन किया गया।

4. हमने प्रार्थी की ओर से निवेदन किया कि ग्राम पंचायत धोरीमन्ना द्वारा खसरा नंबर 427 आदेश राजस्व क्रमांक 705 दिनांक 11.09.1970 आबादी में परिवर्तन हुआ है उक्त खसरे में 31 ग्रामवासियों द्वारा अनाधिकृत कब्जा किये गये है। उपरोक्त सभी व्यक्तियों के पास रहने के लिये भूमि, ढाणिया एवं गांव की पुरानी आबादी मे रहते है, इसके केवल श्री तथाराम वल्द रामजी कौम वादी अनुसूचित जनजाति तथा श्री बागाराम वल्द रावताराम कौम हरीजन के पास आवास की अन्य भूमि नहीं है। वक्त जांच ऐसा इन व्यक्तियों ने ऐसा कोई ठोस प्रमाण पेश नहीं किया जिससे इनका पुराना कब्जा साबित हो सके। इसके बावजूद अप्रार्थी द्वारा आलौच्य पट्टे विधि विरूद्ध जारी कर दिये हैं जो खारिज किये जाने योग्य हैं। अतः प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत धोरीमना द्वारा जारी पट्टों को निरस्त करने का आदेश फरमावें।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रकट तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी का कथन हैं कि ग्राम पंचायत धोरीमन्ना द्वारा खसरा नंबर 427 आदेश राजस्व क्रमांक 705 दिनांक 11.09.1970 आबादी में परिवर्तन हुआ है

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:36:10 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर बाड़मेर

उक्त खसरे में 31 ग्रामवासियों द्वारा अनाधिकृत कब्जा किये गये है। उपरोक्त सभी व्यक्तियों के पास रहने के लिये भूमि, ढाणिया एवं गांव की पुरानी आबादी मे रहते है, इसके केवल श्री तथाराम वल्द रामजी कौम वादी अनुसूचित जनजाति तथा श्री बागाराम वल्द रावताराम कौम हरीजन के पास आवास की अन्य भूमि नहीं है। वक्त जांच ऐसा इन व्यक्तियों ने ऐसा कोई ठोस प्रमाण पेश नहीं किया जिससे इनका पुराना कब्जा साबित हो सके। इसके बावजूद अप्रार्थी द्वारा आलौच्य पट्टे विधि विरूद्ध जारी कर दिया हैं जो खारिज किये जाने योग्य हैं। अतः प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत धोरीमना द्वारा जारी पट्टों को निरस्त करने का आदेश फरमावें। डीबी सिविल रिट याचिका संख्या 6428/2019 भजनलाल बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय न्यायालय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.03.2024 की पालना में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बाड़मेर एवं विकास अधिकारी धोरीमन्ना से संयुक्त रूप से तथ्यात्मक रिपोर्ट ली गई। इस रिपोर्ट दिनांक 02.01.2025 अवगत कराया हैं कि ग्राम पंचायत धोरीमन्ना द्वारा जो पट्टे जारी किये गये है वह राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 के तहत पुराने गृहों का विनियमितिकरण किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा आबादी की विवाद ग्रस्त भूमि पर कोई भी पट्टा जारी नहीं किया गया है, जो पट्टे जारी किये गये है वह पुराने गृहों का विनियमितिकरण के तहत जारी किये गये है उक्त पट्टों व भूमि के संबध में ग्राम पंचायत स्तर पर किसी प्रकार का विवादग्रस्त मामला नहीं है। तत्कालीन विकास अधिकारी धोरीमन्ना द्वारा इस याचिका के सबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में जो जवाबदावा प्रस्तुत किया गया था उसमे भी किसी पट्टे को विवादग्रस्त नहीं माना था। हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बाड़मेर की तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया जिसमे पाया जाता है कि उक्त पट्टे राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 के तहत पुराने गृहों का विनियमितिकरण किया गया है। ग्राम

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:36:10 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

पंचायत द्वारा आबादी की विवाद ग्रस्त भूमि पर कोई भी पट्टा जारी नहीं किया गया है, जो पट्टे जारी किये गये है वह पुराने गृहों का विनियमितिकरण के तहत जारी किये गये है उक्त पट्टों व भूमि के संबध में ग्राम पंचायत स्तर पर किसी प्रकार का विवादग्रस्त मामली नहीं है। प्रार्थी द्वारा अपने अभ्यावेदन में किसी भी पट्टाधारक की विशिष्ठ रूप से कोई तथ्यात्मक अवैधता, अनियमितता प्रकट नहीं की है और न ही साक्ष्य प्रस्तुत किया गया हैं। इस आधार पर आलौच्य पट्टो की वैधता, नियमितता एवं पूर्णता की पहलु पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी की रिपोर्ट अनुसार किसी प्रकार की त्रुटि नही होने से प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज योग्य हैं।

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किया जाता है।

7. निर्णय आज दिनांक 24.12.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:36:10 IST
Reason: SelfAttested